

प्रेषक: रामधारी पुत्र श्री शिव निवासी  
गांव सैनाप नदसोला महरा  
जिला रोहतक

विषय: उत्खनन हेतु धरोहर की गरी मूर्ति का  
मुआवजा देना बारा

Ref No: 1151. Date: 2/5/11

कृपया कि-पत्र आजादी का पत्र हेतु प्रस्तुत है,  
अस्य समीक्षा विधायक है  
2/7/11

सि. न. उत्खनन हेतु प्रस्तुत है।

Ref No: 1/8/2011.

महो निर्देशानुसार (फा) का प्रारूप प्रस्तुत है।

M.P. No. 27/8/11

सि. न. कृपया 20 मिनट के मुद्रा लेना। कृपया प्रस्तुत है।

R/O: 26/8/2011

26/8/11

स. (स.) कृ. वादी है।

26/8/11  
26.24  
26.8.11

प्रेषण - श्री. राम चारी पुत्र श्री शिवा,  
निवासी गाँव - सैमान, तहसील महम,  
जिला - रोहतक

विषय - उत्खनन हेतु प्रयोग की गई भूमि का  
मुआवजा देने वारे।

आपरी नुमांश - 2783 दिनांक 20-9-11

कृ० वि० प० अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

मसौदा  
21-9-11

कृ० वि० प० श्री. राम चारी पुत्र श्री शिवा सिंह निवासी  
गाँव सैमान, तहसील महम जिला महम रोहतक से प्राप्त हुआ  
है। शर्ती ने प्रार्थना की है कि इसकी कृषि योग्य भूमि  
अपरोक्ष सन्दर्भित गाँव में है एवं राजस्व सम्बन्धी विवरण  
भी दर्शाया गया है। प्रार्थना की गई है कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग हरियाणा में 2007-2008  
में इसकी सन्दर्भित भूमि पर उत्खनन करवाये  
एवं इस कारण व उत्खनन भूमि पर कार्य की विधि  
नहीं कर सका है किन्तु उसे अर्पित प्रार्थना का  
वापसी नुकसान हुआ है एवं प्रार्थना इस वजह  
से बेराजगार हो गई है जैसा कि उत्खनन  
के आदेशित इसके पास अन्य कोई भूमि  
नहीं है व, कोई मुआवजा उसे नहीं देकर नहीं किया  
है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि पुरातत्व  
एवं संग्रहालय विभाग के अधिकारियों ने उसे  
अर्पित किया जा कि आपकी भूमि संरक्षित कर  
ली है व आग्रह किया गया कि इस पर कार्य  
न करें लेकिन प्रार्थना ने कोई साक्ष्य इस सम्बन्ध में  
प्रस्तुत नहीं किया है। इसके आदेशित प्रार्थना द्वारा

PTO

कृ. प्रविष्टि

2  
22-9-11

सरकारी रेट से मुकाबले की मांग की गई है यदि  
सरकार इसका आयोग बनवा कर रही है तो -  
यानी ने धुमिल करते या आये किा है ताकि वह  
अपनी मुक्ति को सुरक्षित छोड़ना सके। कृ. आदेशापी.  
अब आयोग कापिवाही हु।

Muskan

21/9/11

~~स. त. क. पालिका आयोग के कजगामी सफराम ठाकुर~~

9

22/9/2011.

Chyfter.

कृ. स. अन्व संनिता पर Institute of  
Archaeology, Pune के प्रो. शिन्दे जो  
प्राचीन स्थापना परमाणु के उत्खनन करने रहे हैं,  
को सम्बन्धित व्यक्ति को मुआवजे की राशि  
का विवरण जल्द करने हेतु पत्र भेजा गया  
था। अतः सम्बन्धित संचिका को साथ  
संलग्न कर जल्द प्रस्तुत करें ताकि आगामी  
कार्यवाही जल्द ही जा सके।

Shik  
18/10/11

स. (ते.)  
18/10/11

कृ. स. अन्व संनिता संलग्न है।

Muskan  
18/10/11

18/10/2011.

Chyfter

18/11

कृ. साथ संलग्न संचिका की पत्राळा 'क' पर  
रखे पत्र के माध्यम से Institute of Archaeology  
Pune के प्रो. शिन्दे को वर्ष 2008 से 2010 तक  
परमाणु में किए उत्खनन के कारण श्री रामपारी  
सुपुत्र श्री शिवा निवासी गांव सैमण, तहसील महम  
जिला रोहतक की जमीन ( जिस पर उत्खनन किया  
गया ) का पासत मुआवजे देने हेतु अनुरोध  
किया गया था परन्तु उनकी तरफ से कोई  
उत्तर प्राप्त अभी हुआ है।

हरियाणा सरकार

अतः यदि अनुमोदित हो तो छपका  
डॉ० वसन्त शिन्दे को पुनः स्मरण  
पत्र भेज दिया जाए तथा सम्बन्धित  
श्री शम्भारी सुपुत्र श्री शिवा को भी  
सूचित कर दिया जाए।

2  
29/11

R/O.

Drish  
19.10.11

स. (क.)

Drish  
20/10/11

क. स्मरण पत्र को प्रामाण्य बना दें।

Drish  
21/10/2011

कृ० पत्र का प्रारूप बना दिया है।

11/11

Drish  
23/11/11

स. (क.)

क. अनुमोदन प्राप्त हो।

Drish  
31/10/2011

स. (क.)

Drish  
31/10/11

क. प्रमाण पत्र का प्रारूप बना दें।

P.A

Drish  
31/10/2011

Drish  
4/11/11

क. स्मरण पत्र को प्रामाण्य बना दें।

R/O

स. (क.)

Drish  
11/11/11

क. प्रमाण पत्र का प्रारूप बना दें।  
जारी संख्या 3184, 85

Drish  
11/11/2011

21/10/11 15-11-11

20/11

क० पुनः प्रवृत्त 4" N पर मैजे जय रज्जु पत्र के सम्बन्ध में  
कार्यालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

Mishra

27/2/12

स. त. क. कचवाली / मारवाली प्रखण्ड है।

कार्यालय  
27/2/2012

R/o

क० पुनः प्रवृत्त - समान पत्र जारी करें।

स. (त.)

28/2/12

क० प्रामु सुगुनोदानी प्रखण्ड है।

कार्यालय  
5/3/2012

R/o

6/3/12

स. (त.)

क० पुनः प्रवृत्त पिंटा के काल है।

कार्यालय  
7/3/2012

स. त. क. कचवाली / मारवाली प्रखण्ड है।

12/3/12

स. (त.)

क० सखार प्रामु रज्जु प्रखण्ड है।

कार्यालय  
13/3/2012

R/o

13/3/12

स. (त.)

कुलाठीकर है।

14/3/12

कार्यालय 14/3/2012

स. त. क. कचवाली / मारवाली प्रखण्ड है।

14/3/12

890-91  
14/3/12

प्रत्यक्ष: श्री. रामलारी पुत्र श. शिवा,  
गाँव सैमान, तहसील महम,  
जिला रोहतक (हरियाणा)  
पिन कोड : 124129

विषय: प्राचीन जलगाह (शमशान भूमि)  
का जलसु आवाज मुआवजा दिलवाने  
बारे।

डापरी नम्बर: 2948 dt. 3-9-12

कृ. वि. प्र. का अंशलाक्षण आवश्‍यक  
कारणों हेतु प्रस्तुत है।

M88/12  
3/9/12

कृ. वि. प्र. का अंशलाक्षण करने का  
कारण है। वि. प्र. श्री. रामलारी पुत्र श. शिवा  
गाँव सैमान त. महम जिला रोहतक  
हरियाणा से प्राप्त हुआ है। प्राचीन द्वारा  
वर्षान् विपदा गया है कि रिकॉर्ड नं. 225 //  
224 किलानम्बरान 155/21 | 156 //  
16/2/11 190/1/10 है। उन द्वारा बताया  
गया है कि उपरोक्त सोहलीन शब्द जमीन  
के खुदाई के दौरान प्राचीन जलसु मिला था।



RIGHT TO INFORMATION

कृ. प्र. १५८८२

कृ० उषा सुनई में प्रोफेसर वसन्त शिन्दे  
उपरोक्त कालेज पुणे महाराष्ट्र, महोदय दयाचन्द  
विश्वविद्यालय रोहतक एवं जाफानी विभाग में

कृ० प्रोफे० द्वारा प्रार्थना की गई  
है कि वह शक गरीब किसान हैं और उषा  
जगिन से ही उसके परिवार का पालन-  
पोषण चलता है और उसे वर्ष २००७-२००८  
से अती तक कोई मुआवजा नहीं मिली  
है। अतः प्रोफे० द्वारा अपने परिवार के  
पालन-पोषण हेतु मुआवजा जारी की  
मांग की गई है।

कृ० उषा सन्दर्भित आवेदन के सम्बन्ध  
में विभागा द्वारा की गई जापवाही C.P. 12-13  
15 पर अपूर्ण रहने का बिल  
की। C.P. 12-13 की जापवाही प्रोफे० द्वारा भी  
संलग्न करके भेजी गई है। अतः उपरोक्त  
सन्दर्भित स्थिति के सम्बन्ध में प्रोफे० की  
मुआवजा दिलवाने का बिल कार्य संपन्न  
जाफानी जापवाही हेतु प्रस्तुत है।

3/9/12

कृ० उषा सन्दर्भित है जो श्रीमती सुन शिन्दा  
का पुत्र पुत्र उषा कालेज पुणे महाराष्ट्र महोदय दयाचन्द



RIGHT TO INFORMATION

डॉ. श्री प्रकाश

कामवाली हेतु केंद्र दिया जाय तबला कागजवाली पुस्तिका  
को जोर कमल क्रिन्ड को समझने कले हेतु केंद्र दिया जाये  
कामों के पुस्तिका पुस्तिका मिलेन पुस्तिका ही भुजा जाये  
डॉ. कामवाली

क  
5

काम  
01/9/12 का अनुमोदनार्थ  
पत्र श्री प्रति (पुस्तिका) श्री 3/12  
पत्र श्री (काम) A S (काम) श्री 3/12  
श्री 3/12

27/2/12  
29/2/12  
5/3/12  
6/3/12  
13/3/12  
4/9/12

काम  
4/9

काम  
4/9/12

काम  
4/9/12

कामवाली हेतु केंद्र दिया जाय तबला कागजवाली पुस्तिका

काम  
13/9/12

काम  
17/9

काम  
18/9/12

कामवाली हेतु केंद्र दिया जाय तबला कागजवाली पुस्तिका

काम  
18/9/12  
कामवाली हेतु केंद्र दिया जाय तबला कागजवाली पुस्तिका  
कामवाली हेतु केंद्र दिया जाय तबला कागजवाली पुस्तिका  
कामवाली हेतु केंद्र दिया जाय तबला कागजवाली पुस्तिका





हरियाणा सरकार

- 9 -

प्रेषक → डा० राजकुमार बेरका  
उपाध्यक्ष, केन्द्रीय राजमन्त्री  
पंचवीं मंजिल, लोवना चक  
मन खान मार्किट, आई  
दिल्ली 110003

विषय: Request for providing crop  
growing Compensation of the  
Cemetery Land Since - 2007-08

डापरी  
नम्बर 2679 dt 30/10/13

PUC submitted please  
30/10/13  
H.S.

क. विचाराधीन पत्र बरफोका काम का कोड  
करे।

विचाराधीन पत्र डा० राजकुमार बेरका, उपाध्यक्ष,  
केंद्रीय राजमन्त्री के आयोग के जून 2011 ई. वि.  
पत्र के साथ उपरोक्त डा० राजकुमार बेरका के जिला रोडक  
जिला रोडक का आवेदन पत्र शर्तों के अन्तर्गत  
जिला रोडक के अन्तर्गत विना गणना के  
जिला रोडक के अन्तर्गत विना गणना के

इस कोड के अन्तर्गत विना डा० राजकुमार  
पुनः आवेदन के अन्तर्गत विना डा० राजकुमार  
को 2007-08 से 2009-10 तक पत्रों  
अन्तर्गत विना डा० राजकुमार जिला रोडक के अन्तर्गत  
जिला रोडक के अन्तर्गत विना डा० राजकुमार  
जिला रोडक के अन्तर्गत विना डा० राजकुमार  
जिला रोडक के अन्तर्गत विना डा० राजकुमार

क. विचाराधीन पत्र बरफोका काम का कोड  
करे।



RIGHT TO INFORMATION

व. पूर्व पुणे के

-10-

19/C अनुसार जो वरमन् सिंह, पुणे  
 कॉलेज पुणे, महाराष्ट्र को पत्र भेजा गया जो उस  
 वक़्त पुणे महाराष्ट्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  
 विभाग की दिल्ली तथा रायचारी पुणे शिव्या  
 गांव की महा शिला शैलाक को भी प्रेषित की  
 गई थी। इनको प्रो. वरमन् सिंह, पुणे  
 कॉलेज पुणे के को भी जवाब प्राप्त नहीं  
 हुआ है।

मै. प्रो. अनुमान है तो उपाध्यक्ष,  
 राष्ट्रीय अनुसंधान बोर्ड को उक्त शिलानों  
 मिलवा की जाए तथा यह भी कहा जाये कि  
 उक्त का प्रमाण, पुणे कॉलेज पुणे-महाराष्ट्र  
 को दिया जाना है।

क. प्रमोद शर्मा की शिकायत को आगे बढ़ाया  
 जायेगा प्रस्ताव है।

वसुधा  
 6/11/2013

~~म. प्रमोद~~

जहाँ से उक्त आर. वरमन् सिंह  
 का (Application forwarded on  
 08/11/13) उपर का प्रस्ताव है।

~~क. प्रमोद~~  
 7/11/13

क. प्रमोद शर्मा की शिकायत को आगे बढ़ाया  
 जायेगा प्रस्ताव है।

File closed please.

~~क. प्रमोद~~  
 8/11/13  
 क. प्रमोद



उप प्रश्न प्रश्न के

उप प्रश्न 10/11 के शब्दों की प्रकृति है उच्चतम  
कोर्ट को ज्ञात है कि उप प्रश्न में उच्चतम कोर्ट के  
के CP-59 पर जवाब का कथन का कथन का कथन  
के शब्दों में;

~~उप प्रश्न~~  
11/11/2013

उप प्रश्न के अंतर्गत आदेशों और  
पिछले पृष्ठों का Reference नंबर  
Kamlesh  
11/11

~~उप प्रश्न~~

उप प्रश्न 10/11 के शब्दों की प्रकृति है उच्चतम  
कोर्ट को ज्ञात है कि उप प्रश्न में उच्चतम कोर्ट के  
के CP-59 पर जवाब का कथन का कथन का कथन  
के शब्दों में;

~~उप प्रश्न~~  
11/11/2013

उप प्रश्न के अंतर्गत आदेशों और  
पिछले पृष्ठों का Reference नंबर  
Kamlesh  
13/11/13

~~उप प्रश्न~~

उप प्रश्न 10/11 के शब्दों की प्रकृति है उच्चतम  
कोर्ट को ज्ञात है कि उप प्रश्न में उच्चतम कोर्ट के  
के CP-59 पर जवाब का कथन का कथन का कथन  
के शब्दों में;

~~उप प्रश्न~~  
14/11/13

उप प्रश्न के अंतर्गत आदेशों और  
पिछले पृष्ठों का Reference नंबर  
Kamlesh  
14/11/13

~~उप प्रश्न~~

उप प्रश्न 10/11 के शब्दों की प्रकृति है उच्चतम  
कोर्ट को ज्ञात है कि उप प्रश्न में उच्चतम कोर्ट के  
के CP-59 पर जवाब का कथन का कथन का कथन  
के शब्दों में;

Pradeep  
14/11/13

~~उप प्रश्न~~  
14/11/2013

Kamlesh  
14/11/13

~~उप प्रश्न~~

उप प्रश्न 10/11 के शब्दों की प्रकृति है उच्चतम  
कोर्ट को ज्ञात है कि उप प्रश्न में उच्चतम कोर्ट के  
के CP-59 पर जवाब का कथन का कथन का कथन  
के शब्दों में;

उप प्रश्न के अंतर्गत आदेशों और  
पिछले पृष्ठों का Reference नंबर  
Kamlesh  
15/11/13

~~उप प्रश्न~~

उप प्रश्न 10/11 के शब्दों की प्रकृति है उच्चतम  
कोर्ट को ज्ञात है कि उप प्रश्न में उच्चतम कोर्ट के  
के CP-59 पर जवाब का कथन का कथन का कथन  
के शब्दों में;

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE



RIGHT TO INFORMATION

FROM :

Proff. V.S. Shinde  
Vice-Chancellor/Director (A)  
Deccan College, Post-Graduate  
and Research Institute,

Subject : Compensation of Land used For the  
Sake of Archaeological excavation - reg.  
Ref. Your letter No. 12/180-2010-पुस  
Diary No. 3035 dt 16/12/13

PUG submitted please  
refer

18/12/13 के विचारार्थी पत्र को लौकन करने का कब  
करे।

विचारार्थी पत्र प्रो. वसंत शिंदे, उपकुल-  
पति/निरिक्षक उच्चान, डेक्कन कॉलेज पुणे के पास  
हुना है। विचारार्थी विभाग के पत्र विभाग के  
पत्र 12/180-2010-पुस/4255-57 दिनांक  
15-11-2013 के अन्तर्गत में प्राप्त हुआ है।

वि-पत्र द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा वर्ष  
2007-08 व 2009-10 में एच. एम. विश्वविद्यालय  
के माध्यम से उच्चान कार्य किया गया था।  
उच्चान कार्य के दौरान उच्चान स्थल में  
लागना। किमी की दूरी पर कार्य कर रहे  
किमान भी शिब्बा 50 मी. बांधारी गांव क्षेत्र  
में अपने क्षेत्र में आध्यात्मिक कुछ प्रासादिक अवशेष  
मिलने की संभावना थी। अतः उच्चान कार्य के दौरान  
किसी भी प्रकार का प्रासादिक अवशेष नष्ट  
नहीं होना चाहिए। एम. उच्चान प्रासादिक  
अवशेषों को सुरक्षित रखने हेतु अनुमान नहीं की उनके  
उच्चान कार्य के अनुमान दे की थी तथा  
उच्चान कार्य के दौरान एम. उच्चान क्षेत्र  
प्राप्त हुआ। किमान द्वारा किना भी शीत

12/1



RIGHT TO INFORMATION

क. पूर्य पूर्य के

के उत्खनन की अनुमति दी थी। तथा वहीं किसी प्रकार का  
मुआयजा मांगा जाता था। उसने केवल मुद्रि रही हालत  
में वापिस करने की अनुमति की शर्त रखी थी। एघोरे  
द्वारा उत्खनन कार्य कर किसान को रही हालत में मुद्रि  
वापिस कर ली थी। बाद में किसान द्वारा कुछ मुआयजा  
की मांग भी गई थी, जो कि धरने मान ली थी।

विपत्र भन्ने में कहा जाता है कि कच जनहित का कार्य  
था। यदि किसान को उचित मुआयजा राज्य सरकार/महोदय  
पुरालेख एवं नग्न विभाग दे दे ~~सही~~ सहायित्व कर दे  
दोगा।

विपत्र के मुकद्दे हैं कि यह उत्खनन कार्य, उत्खनन क्षेत्र  
से कल्ला मुद्रि पर किसान से अनुमति लेकर रखे  
उनके द्वारा अपने स्तर पर किया जाता है। उस समय  
वे उनके द्वारा तथा न ही कामकाज का किसान को सिखा  
दोगा। किसान को किसी प्रकार की मुद्रि की थी। उल  
विभाग इसके लिए जिम्मेदार केन है प्रकृत है।

क. माला अधिकारीगण के कृपणता अन्वेषण  
प्रस्तुत है।

विकास  
अन्वेषक 19/11/2013.


कारण विभाग द्वारा जब भी किसी का  
उत्खनन अनुमति किया जाता है तब इसी शर्त  
की पर किया जाता है कि मुआयजा ~~दिया~~  
उस कारण ही किया जायेगा। अतः इसे  
पर भी आदि को जागाना/जागाना/ई  
मूल रूप से 'का' अंकित किया जायेगा।

Kandarp  
20/12

*(Handwritten mark)*



क. प्रदीप के



RIGHT TO INFORMATION

क. प्रदीप को B/N के अर्थों की जानकारी के लिए अनुरोध किया गया है।

कानपुर 23/12/13. श्री tyke को

Kanpur  
23/12

~~क. प्रदीप~~ द्वारा

क. प्रदीप को जानकारी के लिए

23/12/13

कानपुर

23/12

क. प्रदीप

क. प्रदीप को B/N के अर्थों की जानकारी के लिए

कानपुर 23/12/13.

Kanpur  
23/12

क. प्रदीप

क. प्रदीप को

आरी, क्रमांक 4582-83  
24-12-13

कानपुर  
24/12  
Rajesh



From :

DR. Syed Jamal Hasan, Director  
Excavation/Exploration, Court of India  
Archaeology Survey of India

Subject : Compensation of Land for the sake of  
Archaeological Excavation req.

Deary No: 10 दिनांक 1-1-2014

PVC submitted Please.

Mukherjee  
21-2014

श्री विचारार्थी पत्र मयजी का काम को कर रहे।  
विचारार्थी पत्र दि. 21/01/2014, अर्थात् सरकार,  
प्राचीन पुरातन सर्वेक्षण विभाग जोधपुर नई दिल्ली से  
प्राप्त हुआ है। विचारार्थी पत्र द्वारा श्री वसन्त शिंदे  
श्री वसन्त शिंदे के द्वारा पत्र को देखा गया है।  
उपरोक्त पत्र में श्री वसन्त शिंदे का नाम है कि सरकार द्वारा विचार विमर्श  
के मुद्दा को कर विस्तृत रूप में ले जाया जाये।  
इस बारे में विवेक लेकर श्री वसन्त शिंदे का  
आवश्यक कार्यवाही कर लिये गयी है।

श्री. नाममा अधिकारी/श्री. अधिकारी/सहायक  
प्रमुख है।

सहायक  
दिनांक 21-2014.

श्री. सरकार से ASI का पत्र है।  
पत्र मिला जा चुका है। श्री. वि. पत्र के  
संबंध में जन: सूचना भी है।

Kamran  
21/1/14

श्री. पत्र मिला अगुवाई प्रस्तुत है।  
दिनांक 3/1/14

श्री. पत्र





डॉ. सुखी प्रकाश के

डॉ. सुखी प्रकाश जी के सचिवों की पता है.  
पता क्या है: प्रश्न है।

~~सचिव~~  
6/1/14.

~~Kanwar~~  
6/1/14

~~क~~

के सचिवों।

~~पे~~  
Rajesh

6/1/14

जा 50

58  
6/1/14

आदि 25/1/14





पुस्तक -

अध्यात्म पुरातत्व विद्  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,  
चण्डीगढ़ मंडल, चण्डीगढ़।

विषय -

Excavation / Salvage work to be undertaken by  
A.S.I., Chandigarh, Circle, at Bohar meyja  
behind Baba Mastnath University, Rohtak

डापरी न्युम्बर : 396 dt 18.2.14

P/C submitted please

M/S. S. J. S. J.  
10/2/14

विपाराचीत पत्र अवलोकन करके का कचरा को,  
विपाराचीत पत्र अध्यात्म पुरातत्व विद्, भारतीय पुरातत्व  
सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार, चण्डीगढ़ मंडल, चण्डीगढ़  
के पास डापरी न्युम्बर डापरी न्युम्बर, रोहताक को आबोधि त है।  
पत्र की जोत में धारिदेशक पुरातत्व को प्रेषित की गयी है।  
विपाराचीत पत्र डापरी न्युम्बर चण्डीगढ़ के कचरा को जल्द  
ही रोहताक में उद्योग का प्रारम्भ किया जाना है।  
चण्डीगढ़ का मस्तन विद्यालय के समीप स्थित है तथा  
यह स्थान में जमा है कि जल पर आबोधि कर के विभिन्न  
कारणों के कारण जल की जो रही है। अतः इसे जल्द से जल्द  
उच्च अवस्था में लाना चाहिए। अतः इसे जल्द से जल्द  
उच्च अवस्था में लाना चाहिए। अतः इसे जल्द से जल्द

डापरी न्युम्बर 14/3/2014.

Kenhu  
14/3

कृ. निम्न प्रशासन को पत्र लिखने तथा स्थल को  
नष्ट करने से बचाने के लिये अधिकारीगण को  
प्रस्ताव है। साथ ही ASI अनप्रोटेक्टेड स्थल पर  
उत्खनन करना चाहता है जो राज्य सरकार से अनुमति  
है। डापरी न्युम्बर से कोई सौदा हेतु आवेदन करें।

डापरी न्युम्बर

18/3

18/3/14



RIGHT TO INFORMATION

श. प्र. प्र. प्र.

श. प्र. प्र. प्र. 17/10 के तहत की जा रही है  
नए नियमों के तहत प्रस्तावित किए जा रहे हैं  
तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

31-3-2014

श. प्र. प्र. प्र.  
31/3/14

श. प्र. प्र. प्र. के तहत कार्यवाही की जा रही है।

श. प्र. प्र. प्र.  
31/3/14

श. प्र. प्र. प्र. के तहत कार्यवाही की जा रही है।

श. प्र. प्र. प्र.  
31/3/14

श. प्र. प्र. प्र. के तहत कार्यवाही की जा रही है।

श. प्र. प्र. प्र.  
31/3/14

श. प्र. प्र. प्र.

31/3

31/3

कृ० पूर्व पृष्ठ से:-

हरियाणा सरकार



RIGHT TO INFORMATION

कृ० पूर्व पृष्ठ 17/एन के आदेशों की पालना में।

इस मामले का सम्बन्ध अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़ मण्डल चण्डीगढ़ द्वारा गांव बोहर माजरा, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के पीछे असुरक्षित स्थल पर उत्खनन कार्य करवाने से सम्बन्धित है। अधीक्षण पुरातत्वविद्, चण्डीगढ़ मण्डल चण्डीगढ़ द्वारा पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि वे गांव बोहर माजरा में शीघ्र ही उत्खनन कार्य की योजना बना रहे हैं। यह स्थल सड़क के पार बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के पास स्थित है। लगभग 2 सप्ताह पहले ही यह मामला ध्यान में आया है कि स्थल पर निर्माण कार्य हेतु भूमि समतल की जा रही है। इस लिए उत्खनन कार्य होने तक उस भूमि पर आगामी सभी कार्य तुरन्त प्रभाव से रूकवाने हेतु सम्बन्धित जिला प्रशासन को निर्देश देने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्व पृष्ठ 18/एन पर पारित DDA महोदय के आदेशानुसार निम्न कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है:-

1. जिला प्रशासन रोहतक को गांव बोहर माजरा के असुरक्षित क्षेत्र पर निर्माण कार्य तुरन्त रूकवाने हेतु अनुरोध कर लिया जाये।
2. अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़ मण्डल चण्डीगढ़ को उत्खनन की अनुमति हेतु राज्य सरकार से उचित माध्यम से लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भेजने हेतु कह दिया जाये।

कृ० मामला महानिदेशक महोदय के अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

~~शेखर~~ कामेश  
9/4/2014

Kamher  
9/4

कृ० 'क' प्रस्तावित अनुमोदनार्थ साथ ही उत्खनन कर लिया गया है तो उत्खनन रिपोर्ट की प्रति भी मंगवानी उचित होगी।  
11/4/14

महानिदेशक

155  
11/4/14  
23/4

Dh

As proposed  
bc  
28/4/14

~~शेखर~~ कामेश  
23/4/14

Kamher  
28/4

क/अ

श्री: श्री प्रकाश

- 20 -



RIGHT TO INFORMATION

श्री प्रकाश 191 N पट नेशनल रोड महीन  
के कारियों की जानकारी के प्रमाण अनुसार प्रमाण प्रमाण

24/4/2014.

अधीन

Kanhu  
24/4

●

अधीन

अधीन  
24/4/14

अधीन

अधीन  
24/4

अधीन अधीन अधीन

अधीन

अधीन अधीन अधीन अधीन

अधीन  
24/4/14

अधीन

अधीन अधीन अधीन अधीन

अधीन  
24/4/14.

अधीन

Kanhu  
25/4/14

अधीन

अधीन अधीन

अधीन 25/4/14.

अधीन

अधीन क्रमांक 1316-17

28-4-14

अधीन